कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / दिनांक–

S.S(GM)

सेवा में,

8565
27-6-18

नगर आयुक्त
नगर निगम, बेगुसराय
जिला– बेगुसराय

महाशय,

नगर निगम, बेगुसराय के वर्ष 2015–16 के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 1184 / 16–17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती निरीक्षण प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर निगम बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना
पत्र पंजी
28 JUN 2017
संख्या 5861

भवदीय,

ह0

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14667/60 दिनांक– 17/5/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, बेगुसराय

17/05/17

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

निरीक्षण प्रतिवेदन सं.– 1184/16–17

भाग– I

प्रस्तावना

1	निरीक्षित कार्यालय का नाम	नगर निगम–बेगुसराय
2	लेखा परीक्षा की अवधि	2015–16
3	लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र	लेखा परीक्षा में प्रस्तुत व जॉच किये गये अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–1 पर तथा अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–2 पर दी गयी है।
4	लेखा परीक्षा की तिथि	09.01.17 से 03.02.17 तक (21 कार्य दिवस)
5	**नगर आयुक्त :–** 1 श्री मोहन प्रकाश मधुकर 2 श्री अरविन्द पासवान 3 श्री हेमन्त नाथ देव 4. श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव	कार्यकाल 01.09.14 से 28.01.16 28.01.16 से 01.07.16 01.07.16 से 10.09.16 10.09.16 से वर्तमान तक
6	**महापौर–1. श्री संजय सिंह** **2. श्री उपेन्द्र प्रसाद सिंह**	अप्रैल 2011 से जून 2016 तक जून 2016 से वर्तमान तक
	उप महापौर– श्री राजीव रंजन	अप्रैल 2011 से वर्तमान तक
7	लेखा परीक्षा दल के सदस्य	1. श्री कौशल किशोर (स.ले.प.अ) 2. श्री निखिल कुमार (स.ले.प.अ.) 3. श्री विकास कुमार–II (ले.प.) 4. श्री अभिषेक कुमार (व.ले.प.)
8	पर्यवेक्षण पदाधिकारी	5. श्री शैलेन्द्र नारायण मिश्रा (व.ले.प.अ.)
9	पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति	उपलब्ध नहीं कराया गया।
10	लेखा परीक्षा टिप्पणी	नगर निगम, बेगुसराय के लेखा का संधारण संतोषप्रद नहीं था। अनुदान तथा अनुदान विनियोग पंजी, अग्रिम पंजी, मॉग एवं बकाया पंजी का संधारण नहीं किया जा रहा था। दुकान किराया, गृह तथा वृति कर की वसूली हेतु अपेक्षित प्रयास किए जाएँ। वसूली राशि को ससमय जमा नहीं किया जा रहा था। अवरोधित राशि का उपयोग नहीं किया जा रहा था। नगर निगम प्रशासन की लेखा संधारण को अधिक पारदर्शी तथा सुधारात्मक बनाने हेतु विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।
11	क्या आपत्तियों पर विचार– विमर्श किया गया?	हाँ

दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र

(DISCLAIMER CERTIFICATE)

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई नगर निगम बेगुसराय द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना लेखा परीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

12. पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन नहीं

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 93 के प्रावधान के अनुसार मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी सशक्त स्थायी समिति के समक्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को उन पर अपनी टिप्पणी के साथ पेश करेंगे जो जॉचोपरान्त उन्हें अपनी टिप्पणी यदि कोई हो, नगरपालिका के समक्ष पेश करेगी। साथ ही मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी अपने प्रतिवेदन में लेखापरीक्षक द्वारा बतलायी गयी त्रुटियों को दूर करेंगे। इसके अतिरिक्त धारा 94 में प्रावधान किया गया कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी नगरपालिका द्वारा लेखापरीक्षा का प्रतिवेदन अंगीकार किए जाने के पश्चात् उस पर नगरपालिका द्वारा की गयी कार्रवाई प्रतिवेदन के साथ उन्हे राज्य सरकार को अग्रसारित करेंगे और इसकी प्रति लेखापरीक्षक एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को भेजेंगे।

पूर्व प्रतिवेदनों की सभी कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन अभी तक लेखापरीक्षा कार्यालय को नहीं भेजा गया है। अनुपालन नहीं होने के कारण लेखापरीक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है।

जवाब में बताया गया कि लंबित कंडिका का निराकरण प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। इसे महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाएगा।

13(i) बजट बनाने में लेखा नियमावली का पालन नहीं

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 2014 के नियम 136 के अनुसार प्रतिवर्ष हेतु नगरपालिका की अनुमानित प्राप्ति तथा भुगतान का वार्षिक अनुमान बी0एम0ए0आर0 प्रपत्र सं0–77 में तैयार किया जाना है। इसके अतिरिक्त नियम 134(10) के अनुसार बजट प्राक्कलन से संबंधित विवरणों को बी0एम0ए0आर0 प्रपत्र संख्या–75 से 80 के प्रारूप में बनाया जाना है।

लेकिन नगर निगम द्वारा पारित बजट निर्धारित प्रपत्रों में नहीं बनाया गया।

बजट दिनांक् 14.03.15 को पारित किया गया जो अनुमानित आय एवं व्यय क्रमशः रू 1193823916 एवं रू 1196353716 का अर्थात ऋणात्मक रू 2529800 था।

सरकार को बजट प्रेषित किये जाने का कोई उल्लेख नहीं पाया गया, ना ही बजट घाटे को पूरा करने के लिए किसी उपाय का ही उल्लेख किया गया था।

(ii) बजट बनाने में सार्वजनिक सहभागिता नहीं

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 2014 के नियम 132 के अनुसार वार्ड समिति या अन्य नागरिक संस्थानों द्वारा आगामी वर्ष हेतु प्रत्येक वार्ड के नागरिक संस्थानों द्वारा आगामी वर्ष हेतु प्रत्येक वार्ड के नागरिकों की राय इकट्ठी की जाएगी। मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी 15 जनवरी से पहले नागरिक सभा के माध्यम से प्रत्येक वार्ड के अनुमानित आय एवं व्यय नागरिकों के समक्ष,उनकी टिप्पणी एवं विचार हेतु प्रस्तुत करेंगे। नगरपालिका के सभी विभागों के प्रमुख तथा सशक्त स्थायी समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहकर उसमें भाग लेंगे। नागरिकों के सुझाव विचारों को वार्षिक बजट बनाते समय गम्भीरता से विचार किया जाना है।

लेकिन लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि नगर निगम द्वारा बजट बनाते समय लेखा नियमावली का पालन नहीं किया गया इसके कारण बजट में सार्वजनिक सहभागिता नहीं हो पायी तथा बजट नागरिकों के मुल्यवान सुझावों एवं विचारों से वंचित रहा।

(iii) बजट की अर्द्धवार्षिक समीक्षा नहीं

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 2014 के नियम 139 के अनुसार नगरपालिका लेखा समिति बजट की अर्द्धवार्षिक समीक्षा कर यह जॉच करेंगी कि बजट निर्देशित मार्ग पर ही हो रहा है एवं बजट वास्तविक तथा प्राप्त करने योग्य है। साथ ही समिति यह भी देखेगी कि बजट के विश्लेषण में वास्तविक में पॉच प्रतिशत से अधिक विचलन नहीं है।

लेकिन लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि नगर निगम द्वारा उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत अर्द्धवार्षिक समीक्षा नहीं की गयी तथा बजट प्राक्कलन एवं वास्तविक आय– व्यय में अत्यधिक अन्तर की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

जवाब में बताया गया कि बजट समय से अनुमोदित कर सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित करने के उपरांत ही प्राप्त अनुदान एवं स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त राजस्व का व्यय किया जा रहा है।

अतः भविष्य में नियमों का ध्यान रखा जाये।

14. वार्षिक लेखा का संधारण नहीं

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 86 तथा 88 में क्रमशः लेखा संधारण एवं वितीय विवरण तैयार करने का प्रावधान किया गया। धारा 88 के अनुसार वितीय वर्ष की समाप्ति के चार माह के अन्दर एक वितीय विवरण तैयार किया जाना है, जिसमें नगरपालिका के पूर्ववर्ती वर्ष का आय– व्यय लेखा तथा प्राप्तियों एवं भुगतान को अन्तर्विष्ट करना है। इसके अतिरिक्त बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 2014 के नियम 120 के अन्तर्गत प्राप्ति एवं भुगतान का मासिक विवरण बी0एम0ए0आर0 प्रपत्र सं0– 71 आय तथा व्यय विवरण प्रपत्र सं0–73 एवं आर्थिक चिट्ठा प्रपत्र सं0–74 में संधारित किया जाना है।

नगर निगम द्वारा वर्ष 2015–16 की अवधि में न तो वितीय विवरण तथा ना ही वार्षिक लेखा का संधारण किया गया था। वार्षिक लेखा तैयार नहीं किये जाने के कारण बजट में संभावित आय एवं व्यय की तुलना वास्तविक आय– व्यय के साथ नहीं किया जा सका।

जवाब में बताया गया कि कर्मी की कमी के कारण वार्षिक लेखा का संधारण संभव नहीं हो पा रहा है। भविष्य में इसका संधारण किया जाएगा।

15. अनुदान

लेखापाल रोकड़बही के अनुसार निम्नलिखित अनुदान वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान प्राप्त हुआ था–

क्र. सं.	पत्रांक सं. तथा दिनांक	राशि	विवरणी
1	सरकार के संयुक्त सचिव सह निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 25–09 दिनांक 29.08.15	700000	पार्षदों का भत्ता
2	तथैव के पत्रांक 28/15–16 दिनांक 27.08.15	5966650	नागरिक सुविधा
3	तथैव के पत्रांक 16 दिनांक 17.07.15	28218000	नागरिक सफाई व्यवस्था 1.डोर टू डोर कचरा संग्रहण 2.उपस्करों का कय 3.कचरे का प्रबंधन हेतु Land fill side का कय
4	तथैव के पत्रांक 26 दिनांक 22.08.15	6415450	राज्य योजना पथ एवं पुलिया निर्माण
5	तथैव के पत्रांक 76 दिनांक 23.12.15	27007272	14वॉ वित्त आयोग
6	तथैव के पत्रांक 765 दिनांक 25.01.16	39341695	मुद्रांक शुल्क
7	तथैव के ज्ञापांक 114 दिनांक 14.03.16	41760000	केंद्रांश शहरी परिवहन मिशन अमृत योजना
8	तथैव के पत्रांक 124 दिनांक 21.03.16	44134494	पंचम वित्त आयोग केंद्रांश
9	तथैव के पत्रांक 124 दिनांक 21.03.16	7951277	पंचम वित्त आयोग केंद्रांश
10	तथैव के पत्रांक 124 दिनांक 21.03.16	36957181	पंचम वित्त आयोग केंद्रांश
11	तथैव के पत्रांक 135 दिनांक 29.03.16	2292250	राज्य योजना राज्यांश
12	तथैव के पत्रांक 133 दिनांक 29.03.16	8299800	राज्य योजना राज्यांश
		249044069	

अनुदान विनियोग पंजी, मदवार पूर्व का शेष, वर्ष की प्राप्ति, कुल उपलब्ध राशि, वर्ष का व्यय उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं 31.03.2016 को मदवार अन्तशेष की राशि की विवरणी अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया।

जवाब में बताया गया कि कर्मी की कमी के कारण अनुदान विनियोग पंजी का संधारण संभव नहीं हो पा रहा है भविष्य में इसका संधारण कर लिया जाएगा।

16. कोषागार खाता रोकड़ बही (P/L Account Cashbook)

बेगुसराय, नगर निगम द्वारा कोषागार खाता से संबंधित रोकड़बही का संधारण किया गया था। वर्ष 2015–16 में नगर निगम का वित्तीय संव्यवहार निम्नानुसार था–

क्र.सं.		राशि
1	प्रारंभिक अवशेष	411720011
2	प्राप्ति	
	(I) अनुदान से	250894069
	(II) अन्य स्रोत से	575
3	कुल प्राप्ति (1+2)	662614655
4	व्यय	
	(I) योजना में	205578522
	(II) स्थापना में	104542411
	(III) अन्य	30000000
5	कुल व्यय	340920133
6	अन्तशेष	322493722

भाग–II (क)

कंडिका सं0 01 अंकेक्षण के दौरान जमा की गयी राशि रू 11.56 लाख

नगर निगम बेगुसराय वर्ष 2015–16 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि कर–संग्राहक द्वारा होल्डिंग टैक्स रसीद एवं विविध रसीद से वसूल की गयी राशि नगर निगम कोष में जमा नहीं किया गया है जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है:–

क0 सं0	रसीद सं0 होल्डिंग	दिनांक	वसूल की गयी राशि जमा नहीं	अंकेक्षण के दौरान जमा की गयी राशि	कम जमा राशि	जमा राशि का विविध रसीद/ दिनांक	कर–संग्राहक का नाम
01	27301–400 28501–600	25.04.16 27.09.16	121654	121654	0	1445/31.01.17	अमरदीप कुमार
02	28101–200 28901–965	12.04.16 26.12.16	338530 176793	206530 176793	132000 0	1432/24.01.17 1433/24.01.17	मुकेश कुमार
03	27101–200 27701–800 28201–300	10.06.16 30.08.16 31.12.16	59928 215571 672198	59930 215571 314598	0 0 357600	1441/28.01.17 1440/28.01.17 1442/31.01.17	नवल कुमार मेहता
04	28822–62 28801–21	14.12.16	76591 77724	51706	24885	1436/27.01.17	नवीन कुमार
05	विविध रसीद सं0 7201–8000	–	9377	9400	(–)23	1450/02.02.17	रवि रंजन पाठक
			1670642	1156182	514462		

होल्डिंग रसीद एवं विविध रसीद से प्राप्त की गयी उक्त राशि में से रू. 1156182 लेखापरीक्षा के दौरान नाजीर रसीद द्वारा जमा की गयी एवं शेष राशि रू. 514462 जमा नहीं किया गया। अतः कम जमा की गयी राशि शीघ्र नगर निगम कोष में जमा कराया जाये।

कंडिका सं0 02(i) होल्डिंग एवं विविध रसीद द्वारा वसूल की गयी राशि जमा नहीं रू 30.07 लाख

नगर निगम बेगुसराय में होल्डिंग रसीद एवं विविध रसीद से वसूल की गयी राशि नगर निगम कोष में जमा नहीं किया गया था जिसका विवरणी निम्न प्रकार है –

क्र0 सं0	रसीद	रसीद सं0	दिनांक	वसूल की गयी राशि	जमा की गयी राशि	कम जमा राशि	विवरणी	कर संग्राहक का नाम
01	विविध रसीद	801 से 888	29.07.16 से 07.01.17	650832	शून्य	650832	दुकान किराया	श्री राजेश्वर सिंह
02	विविध रसीद	1001 से 1100	22.08.16 से 03.12.16	287322	शून्य	287322	दुकान किराया	–''–
03	विविध रसीद	1301 से 1363	05.12.16 से 13.01.17	204954	शून्य	204954	दुकान किराया	–''–
04	होल्डिंग रसीद	26901–73	26.10.16	109103	शून्य	109103	होल्डिंग टैक्स	अनिल ठाकुर
05	होल्डिंग रसीद	27001–100	18.04.16 से 30.04.16	113849	शून्य	113849	होल्डिंग टैक्स	प्रमोद कुमार
06	होल्डिंग रसीद	27801–900	13.08.16 से 12.12.16	203753	शून्य	203753	होल्डिंग टैक्स	प्रमोद कुमार
07	होल्डिंग रसीद	29301–379	14.12.16 से 02.02.17	61078	शून्य	61078	होल्डिंग टैक्स	प्रमोद कुमार
08	होल्डिंग रसीद	28501–600	27.9.16 से 20.01.17	153060	शून्य	153060	होल्डिंग टैक्स	दिवाकर कुमार
09	होल्डिंग रसीद	21101–28000	11.05.15 से 31.03.16	916267	780630	135637	होल्डिंग टैक्स	आदर्श कुमार
10	होल्डिंग रसीद	27301–400 27501–600	30.09.16 20.01.17	200100 161082	शून्य	361182	होल्डिंग टैक्स	दिनकर कुमार
11	होल्डिंग रसीद	27465–500 27302–390	30.08.16 27.09.16	37827 253713	शून्य	291540	होल्डिंग टैक्स	सन्नी कुमार
12	होल्डिंग रसीद	28201–300	31.12.16	672198	314598	357600	होल्डिंग टैक्स	नवल कुमार मेहता
13	होल्डिंग रसीद	28801–21	14.12.16	77724	शून्य	77724	होल्डिंग टैक्स	नवीन कुमार
				4102862	1095228	3007634		

होल्डिंग एवं विविध रसीद संग्रहकर्ता के द्वारा वसूल की गयी राशि रू 3007634 नगर निगम कोष में जमा नहीं किया गया।

जवाब में बताय गया कि संबंधित कर संग्राहकों को राशि जमा करने का नोटिस दिया गया है इसे वसूल कर निधि में जमा कर लिया जाएगा।

अतः कम जमा की गयी राशि शीघ्र नगर निगम कोष में जमा कराया जाय।

(ii) विविध रसीद एवं होल्डिंग रसीद से वसूल की गयी राशि दैनिक जमा पंजी में कम जमा रू 0.84 लाख

नगर निगम बेगुसराय में उपलब्ध कराये गये होल्डिंग रसीद एवं दैनिक रसीद को दैनिक संग्रह पंजी से मिलान करने पर पाया गया कि वसूल की गयी राशि से कम राशि दैनिक संग्रह पंजी में लिखा गया था एवं जमा किया गया था जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है:–

क0 सं0	रसीद	रसीद सं0	दिनांक	वसूल की गयी राशि	जमा की गयी राशि	कम जमा राशि	कर संग्राहक का नाम
01	विविध रसीद	15846	15.12.15	15387	13387	2000	श्री राजेश्वर सिंह
02	---"---	15805	14.10.15	12194	12134	60	–"–
03	---"---	15880	10.02.16	42200	4220	37980	–"–
04	---"---	17538	14.05.16	17028	7028	10000	–"–
05	---"---	17549	22.05.16	994	964	30	–"–
06	---"---	17561	03.06.16	4929	4825	104	–"–
07	---"---	17593	03.07.16	1911	911	1000	–"–
08	---"---	17594	05.07.16	1285	285	1000	–"–
09	---"---	13522	20.04.15	2013	201	1812	–"–
10	---"---	13545	16.07.15	1458	458	1000	–"–
11	---"---	15776	07.12.15	10046	0	10046	–"–
12	---"---	13435–38	16.05.15	1600	0	1600	–"–
13	---"---	13433	11.05.15	1189	0	1189	–"–
14	---"---	16425	06.01.16	1564	0	1564	–"–
15	---"---	16477	20.02.16	4050	3440	610	–"–
16	होल्डिंग रसीद	22457	02.12.15	5230	3230	2000	आदर्श कुमार
17	---"---	22461	28.12.15	42014	32014	10000	–"–
18	---"---	21187	28.09.15	15400	15000	400	–"–
19	---"---	24315	09.03.16	435	183	252	–"–
20	---"---	26659	07.04.16	13252	12252	1000	–"–
				194179	110532	83647	

उक्त रसीदों से वसूल की गयी राशि संग्रहकर्ता द्वारा दैनिक पंजी में रू. 83647 कम राशि दर्ज कर जमा किया गया है।

जवाब में बताया गया कि संबंधित कर संग्राहक से राशि वसूल कर निधि में जमा कर दिया जाएगा। अतः संग्रहकर्ता द्वारा कम जमा राशि नगर निगम कोष में जमा कराया जाये।

(iii) रोकड़पाल द्वारा जमा की गयी राशि बैंक पासबुक में स्पष्ट नहीं राशि रू 25.97 लाख

नगर निगम बेगुसराय के दौरान उपलब्ध करायी गयी रोकड़पाल रोकड़बही एवं बैंक पास बुक के मिलान में पाया गया कि विभिन्न कर संग्राहकों से विविध रसीद द्वारा प्राप्त राशि का बैंक में जमा सुनिश्चित नहीं किया जा सका। जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है –

क्र0सं0	विविध रसीद सं0	दिनांक	प्राप्त राशि	जमा राशि	कम जमा राशि
01	129	30.05.16	805000	0	805000
02	908	04.08.16	17900	0	17900
03	949	20.08.16	115990	0	115990
04	982	03.09.16	28464	0	28464
05	1196	04.11.16	56124	0	56124
06	1197	04.11.16	184377	0	184377
07	1198	04.11.16	188385	0	188385
08	1199	04.11.16	185406	0	185406
09	1200	04.11.16	271010	0	271010
10	1205	09.11.16	67992	0	67992
11	1206	09.11.16	20490	0	20490
12	1207	09.11.16	136046	0	136046
13	1208	09.11.16	27621	0	27621
14	1231	14.11.16	65879	0	65879
15	1232	14.11.16	132000	0	132000
16	1233	14.11.16	136600	0	136600
17	1257	24.11.16	30000	0	30000
18	1261	24.11.16	33500	0	33500
19	1265	25.11.16	63060	0	63060
20	1406	27.12.16	6084	0	6084
21	1407	27.12.16	5941	0	5941
22	1408	27.12.16	45000	25025	19975
			2622869	25025	2597844

उपरोक्त विविध रसीद से प्राप्त राशि का बैंक/नगर निगम कोष में जमा का साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

जवाब में बताया गया कि जमा की जांच कर यथोचित कार्रवाई करते हुए महालेखाकार को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः कम जमा की गयी राशि नगर निगम कोष में जमा करायी जाये।

कंडिका सं0 03 एल.ई.डी.लाईट/हाईमास्ट लाईट अधिष्ठापन में अनियमितता राशि रू 90.32 लाख

नगर निगम बेगुसराय द्वारा दिनांक 01.06.2015 को आयोजित सशक्त स्थायी समिति की बैठक के प्रस्ताव सं0 अन्यान्य (2) में लिये गये निर्णय के अनुवार प्रत्येक वार्ड में 10–10 अदद बजाज कम्पनी का 65 वॉट का एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट एवं शहर के प्रमुख चौक–चौराहों हेतु 16 मीटर वाला 15 अदद हाईमास्ट (पोल सहित) लाईट के क्रय का निर्णय लिया गया, जिसके लिये दर को सासाराम, डालमियानगर तथा बेतिया नगर परिषद में लगाये गए लाईटों को आधार बनाया गया।

दिनांक 25.04.15 को लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन एण्ड इलेक्ट्रीकल वर्क्स, सीवान द्वारा लाईट लगाने का आदेश देने का अनुरोध किया गया था, पुनः संबंधित आपूर्तिकर्ता द्वारा 20.05.15 को इस आशय का अनुरोध किया गया।

दिनांक 24.07.2015 को प्रो0 लक्ष्मी कंस्ट्क्शन एण्ड इलेक्ट्रीकल्स वर्क्स, सीवान को बजाज कम्पनी का 65 वाट का एल0ई0डी0 लाईट 225 अद्द तथा 22.08.15 को 225 अदद आपूर्ति एवं अधिष्ठापन रू 37830 की दर से करने का आदेश दिया गया तथा 24.07.15 को दोनों पक्षों की बीच किए गए एकरारनामा में किसी भी बिन्दु में निर्माता कम्पनी अथवा विशिष्टियों का उल्लेख नहीं पाया गया।

दिनांक 30.07.15 को संबंधित आपूर्तिकर्ता द्वारा 225 अदद लाईट लगाये जाने की सूचना निगम को दी गयी जिसका दिनांक 05.08.15 को कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल से लाईट की जॉच कराकर प्रतिवेदन की मांग की गयी, जिसके आलोक में दिनांक 22.09.15 को विद्युत कार्यपालक अभियन्ता दरभंगा द्वारा विशिष्टियों एवं गुणवता का प्रमाण–पत्र प्राप्त हुआ।

आपूर्तिकर्ता द्वारा निम्न रूप से विपत्र प्रस्तुत किया गया।

क0सं0	दिनांक	लाईटों की संख्या	प्रति लाईट की दर	राशि
01	12.08.15	225 अदद एल0ई0लाईट	37830	8511750
02	10.10.15	225 अदद एल0ई0लाईट	37830	8511750
03	23.12.15	10 अदद हाई मास्क लाईट	833000	8330000

उपुर्यक्त प्रस्तुत विपत्र के विरूद्ध आपूर्तिकर्ता को निम्न प्रकार भुगतान किया गया।

क0सं0	चेक सं0/दिनांक	राशि
01	956185/26.09.15	5399286
02	956187/02.11.15	4417598
03	A-732059/25.01.16	6484905
04	A-732099/05.02.16	2058277
	Vat- 842663 1021410	1864073 1124550 51071
		3039694
	Total	21399760

लेखापरीक्षा टिप्पणी

1. नजदीकी नगर निकायों में आपूर्ति की दर को आधार नहीं बनाया गया।
2. आपूर्ति आदेश देने के पूर्व दर के संबंध में आपूर्तिकर्ता से वार्ता नहीं किया गया था।
3. बजाज कम्पनी के साईट पर 65 वॉट एल0ई0डी0 लाईट का उल्लेख नहीं पाया गया बल्कि 72 वॉट का उल्लेख पाया गया, जिसका मूल्य मात्र रू 10800 प्रति दर्शाया गया, तथा आपूर्तिकर्ता द्वारा अन्य उपकरण एवं सेवाओं (जैसे– ब्रैकेट, क्लैम्प, लोहे का छड़, तार स्वीच, मजदूरी इत्यादि के लिए) रू. 7830 शामिल करते हुए कुल राशि रू. 18830 प्रति की दर से राशि रू. 8473500 के विरूद्ध 65 वाट

का भुगतान ₹ 30000+ ₹ 7830 अर्थात रू. 37830 प्रति की दर से रू. 17027100 का भुगतान किया गया था, जो अनियमित था।

4. आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत विपत्र पर एल0ई0डी0 लाईट का निर्माता कम्पनी एवं विशिष्टयों का उल्लेख नहीं पाया गया।
5. कार्यादेश एवं एकरारनामा में एल0ई0डी0 एवं हाई मास्ट लाईट की निर्माता कम्पनी एवं विशिष्टियों का कोई उल्लेख नहीं पाया गया।
6. नगर विकास एवं आवास विभाग के ज्ञापांक 5245 दिनांक 26.07.2011 की कंडिका (बिन्दु) विविध–14 में स्पष्ट निर्देश प्राप्त था कि विज्ञापन अथवा टेंण्डर पर ज्यादा खर्च नहीं करते हुए समाहरणालय/ जिला ग्रामीण विकास अभिकरण/निकटवर्ती निकायों द्वारा क्रय की गयी दर पर क्रय किया जाय, जिसका अनुपालन नहीं किया गया था।
7. आपूर्तिकर्ता द्वारा हाई मास्ट लाईट 16 मीटर बजाज मेक 4 core की आपूर्ति प्रति यूनिट ₹ 8.33 लाख की दर से किया गया जिसमें आपूर्ति अधिष्ठापन, अर्थिंग, केवलिंग कनेक्शन एवं कन्ट्रोल पैनल वार्षिक रख– रखाव (02 वर्ष 03 माह) का उल्लेख पाया गया लेकिन इसमें सामग्री/उपकरण, मजदूरी इत्यादि का अलग– अलग दर का उल्लेख नहीं पाया गया। साईट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार लाईट प्रति यूनिट 15000 दर्शाया गया तथा अन्य सेवा एवं उपकरण से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं था ना ही आपूर्तिकर्ता द्वारा अलग से इसकी दर दी गयी थी।
8. आपूर्तिकर्ता से आयकर के रूप में रू 479355.00 की कटौती नहीं किया गया था।
9. दिनांक 17.03.16 को पत्र द्वारा आपूर्तिकर्ता को सूचित किया गया कि अधिष्ठापित लाईट कई स्थानों पर बंद है। अतः रख– रखाव की शर्तो के अनुसार इसे चालू करना सुनिश्चित किया जाए लेकिन इसके परिणामों का उल्लेख नहीं पाया गया।
10. लाईटों को जलाने हेतु विद्युत विभाग से कनेक्शन लिया गया अथवा नहीं इसका उल्लेख नहीं पाया गया।

उपर्युक्त विवरण के अनुसार एल0ई0डी0 की देय राशि रू 18860 प्रति की दर से रू 8473500 के विरूद्ध रू 17027100 का भुगतान किया गया जो देय राशि से रू 8553600 अधिक भुगतान की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता साथ ही 65 वॉट का उत्पादन कम्पनी द्वारा किया जाता है, अथवा नहीं यह सुनिश्चित नहीं होने की स्थिति में कुल व्यय संदेहास्पद था।

हाई मास्क लाईट का Item wise दर उपलब्ध नहीं होने के कारण इसमें भी अधिक/अनियमित भुगतान की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

जवाब में बताया गया कि जांचोपरान्त नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अतः आय कर 479355 एवं अधिक भुगतान रू 8553600 अर्थात राशि रू 9032955 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–II (ख)

कंडिका सं0 4(i) उपस्करों के कय पर निष्फल व्यय राशि रू 107.35 लाख

दिनांक 30.04.2015 को गिन्नी इन्फ्राटेक इण्डिया प्राईवेट लि0 नई दिल्ली को ट्रक माउण्टेड स्टील वाटर टैंकर 03 अदद ट्रक माउण्टेड चलन्त शौचालय–03 अदद एवं चलन्त शौचालय (सुपर डीलक्स) मॉडल 1233–04 अदद का आपूर्ति आदेश कटिहार नगर निगम द्वारा वर्ष 2014–15 में स्वीकृत दर क्रमशः रू 2761700, 2122000 एवं 1225000 पर निर्गत किया गया।

आपूर्ति आदेश पत्र पर कय से संबंधित आयोजित सशक्त समिति की बैठक एवं निर्णय दिनांक 22.04.15 का उल्लेख किया गया, लेकिन ना तो कार्यवाही पुस्तिका में इसकी प्रविष्टि पायी गयी ना ही कार्यवाही की प्रति संचिका में संलग्न पाया गया।

पुनः आपूर्तिकर्ता को दिनांक 08.06.15 को इस आशय का स्मार–पत्र दिया गया। दिनांक 10.06.2015 को संबंधित आपूर्तिकर्ता द्वारा रिटेल इनवॉयस 03/15–16, 04/15–16 एवं 05/15–16 द्वारा विपत्र प्रस्तुत किया गया जो निम्न प्रकार था–

Sl.No.	Name of materials	Units	Amount / per unit	Total amount
01	Truck mounted stainless steels water tanker with ashok leyland truck-1233	2 set	2761700 inclusive vat 13.5%	5523400
02	Super delux mobile toilet van model-1233	2 set	1225000 inclusive vat 13.5%	2450000
03	Truck mounted stainless steels water tanker with ashok leyland truck-1214	1 set	2761700 inclusive vat 13.5%	2761700
				10735100

यांत्रिक अभियन्ता द्वारा गुणवता जॉच प्रतिवेदन दिया गया।

वैट की कटौती रू 1276862 के उपरान्त शेष राशि रू 9458238 का भुगतान तेरहवॉ वित्त आयोग से चेक सं0 609766 दिनांक 20.06.15 द्वारा किया गया।

अंकेक्षण टिप्पणी

1. कय का आधार नगर निगम कटिहार को आपूर्ति की दर बनाया गया, इस संबंध में आपूर्तिकर्ता से आपूर्ति आदेश के पूर्व दरों के संबंध में वार्ता नहीं किया गया था।
2. आपूर्तिकर्ता से आयकर की कटौती ₹ 221143 नहीं किया गया था।
3. उपयुक्त उपस्करों की आवश्यकता उपयोगिता, भण्डार पंजी प्रविष्टि, गुणवता जॉच प्रमाण पत्र, परिचालन की व्यवस्था इत्यादि स्पष्ट नहीं थी।

4. उपयुक्त उपस्करों से प्राप्त राजस्व एवं इनका जमा भी स्पष्ट नहीं किया गया।

उपर्युक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि निस्क्रिय उपस्करों पर उक्त राशि का व्यय किया गया। जवाब में बताया गया कि दिन प्रतिदिन शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए भविष्य में इसकी उपयोगिता के लिए उपस्कर का क्रय किया गया है।

जवाब संतोषजनक नहीं है क्योंकि वर्तमान में उपस्करों की कोई आवश्यकता नहीं होने के कारण किया गया निष्फल प्रतीत होती है।

(ii) उपकरणों की आपूर्ति पर निष्फल व्यय राशि रू 170.71 लाख

उपलब्ध संचिका के अवलोकन से यह पाया गया कि टिप्पणी पत्र 1 के अनुसार सशक्त स्थायी समिति के निर्णय के आलोक में Closed Top tipper-2 पीस Mini sweeper machine-02 पीस एवं 01 पीस स्कायलिफ्ट आपूर्ति करने का आदेश मे0 एस0जी0 कंस्ट्रक्शन को दिया गया।

ज्ञातव्य है कि उक्त सशक्त स्थायी समिति की बैठक की तिथि का उल्लेख नहीं किया गया ना ही कार्यवाही पुस्तिका में इसका साक्ष्य पाया गया।

दिनांक 11.08.15 को Short term tender/quatation invitation notice No. 05/2015-16 संलग्न पाया गया, जिसके अनुसार

1 Animal catcher on Bolero/TATA ACE
2 Closed Top tipper-10 cum on Tata/Ashok leyland/Eicher 16 Ton
3 Mini sweeper machine on Bolero/Tata Ace
4 Skylift 9mtrs on Bolero/Tata Ace

उपकरों का आपूर्ति आदेश में कोई भी नियम एवं शर्त नहीं दिया गया था इसकी प्रति सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु प्रेषित किया गया, लेकिन जन सम्पर्क विभाग द्वारा प्राप्ति रसीद तथा समाचार पत्र में कोई प्रकाशन की प्रति संलग्न नहीं पाया गया।

मे0 एस0जी0 कन्सक्ट्रक्शन नई दिल्ली को दिनांक 01.09.2015 को आपूर्ति आदेश उपर वर्णित क0सं0 2,3 एवं 4 क्रमशः 2 पीस 2 पीस एवं 01 पीस का दिया गया। आपूर्ति आदेश में कोटेशन/निविदा मे न्यूनतम दर का उल्लेख किया गया लेकिन कोटेशन/निविदा पत्र का प्रति अथवा तुलनात्मक विवरणी उपलब्ध नहीं कराया गया, ना ही आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी प्रकार का एकरारनामा किया गया।कुल 60 प्रतिशत अग्रिम की मांग आपूर्तिकर्ता द्वारा की गयी जिसके विरूद्ध रू 17850000 का 30 प्रतिशत रू 5355000 का भुगतान चेक सं0 000022 दिनांक 24.09.15 द्वारा तेरहवीं वित्त आयोग मद से किया गया।

आपूर्तिकर्ता द्वारा इन्वायस सं0 SGC/Pat/2015-16/009 दिनांक 11.12.2015 द्वारा 02 अदद Closed Top tipper 10 cum on tata chasis 16 ton @ ₹ 3259912 कुल रू 6519824 एवं Sky lift 9mtrs on Bolero chasis 1 अदद रू 1894273 वैट रू 1135903 (13.5%) अर्थात कुल 9550000 तथा इन्वायस सं0 SCG/Pat/2015-16/0010 दिनांक 15.12.2015 द्वारा Mini sweeper machine with Bolero

chasis 02 अदद रू 3656388 कुल रू 7312775 + वैट 13.5% रू 987225 कुल रू 8300000 का विपत्र प्रस्तुत किया गया।

यांत्रिक अभियन्ता द्वारा भौतिक रूप से निरीक्षण का प्रमाण–पत्र दिया गया। ₹ 1135903 का भुगतान संबंधित विभाग को वैट के रूप में चेक सं0 ए–732535 दिनांक 23.12.15 द्वारा किया गया, पुनः चेक सं0 ए–731936 दिनांक 19.02.16 द्वारा रू 987225 तथा रू 2908528 का भुगतान चेक सं0 ए–732598 दिनांक 25.01.16 द्वारा तथा रू 6685000 चेक सं0 ए–732534 दिनांक 23.02.15 द्वारा क्रमशः चतुर्थ राज्य वित्त आयोग एवं नागरिक सुविधा मद से किया गया।

अंकेक्षण टिपपणी–

1. सशक्त स्थायी समिति द्वारा अनुमोदन का साक्ष्य नहीं पाया गया।
2. निविदा दरें आमंत्रित किये जाने का साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।
3. प्राप्त निविदा/दरें एवं तुलनात्मक विवरणी का साक्ष्य उपलब नहीं था।
4. उपकरणें की भण्डार पंजी प्रविष्टि, आवश्यकता एवं उपयोगिता से संबंधित कोई भी उल्लेख नहीं पाया गया।
5. आपूर्तिकर्ता के साथ एकरारनामा नहीं किया गया तथा इसमें नियम व शर्ते का उल्लेख नहीं था।
6. यांत्रिक अभियंता द्वारा सिर्फ भौतिक सत्यापन का प्रमाण पत्र दिया गया, विशिष्टियॉ एवं गुणवत्ता से संबंधित कोई भी जॉच प्रतिवेदन/प्रमाण पत्र संलग्न नहीं था।
7. आपूर्तिकर्ता से आयकर के रूप में ₹ 367710 की कटौती नहीं किया गया था।

   उपयुक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि बगैर आवश्यकता के उपकरणों का क्रय अनियमित रूप से किया गया।

जवाब में बताया गया कि दिन प्रतिदिन शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए भविष्य में इसकी उपयोगिता के लिए उपकरणों का क्रय किया गया है।

जवाब संतोषजनक नहीं है अतः निष्क्रिय उपकरणों पर किया गया व्यय राशि रू 17071656 निष्फल प्रतीत होता है।

(iii) डस्टबीन का क्रय में अनियमितता राशि रू 123.60 लाख

दिनांक 15.11.2015 की सशक्त स्थायी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में दिनांक–27.01.2016 को बुडको को 12 लीटर क्षमता वाला डस्टबीन 15000 अदद रू 800 प्रति की दर से सेंटर एवं कंटीजेन्सी चार्ज सहित रू 12360000 की राशि चेक संख्या 956191 (पं0ने0बैंक) दिनांक 27.01.16 द्वारा भुगतान करते हुए आपूर्ति का अनुरोध किया गया जिसकी राशि रू 12000000 थी उक्त डस्टबीन को डोर–टू–डोर कचरा संग्रहण हेतु इस्तेमाल किया जाना था। आपूर्तिकर्ता के साथ दिनांक 16.02.16 को इस आपूर्ति से संबंधित एकरारनामा किया गया।

दिनांक 02.04.2016 को आपूर्तिकर्ता द्वारा 15000 डस्टबीन आपूर्ति किये जाने की सूचना नगर निगम को दी गयी। दिनांक 04.04.16 को प्राधिकारी द्वारा सामग्री की जॉच करते हुए भंडार पंजी प्रविष्टि किये जाने का निर्देश दिया गया।

लेखापरीक्षा टिप्पणी

1. नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2372 दिनांक 08.08.2014 की कंडिका 3 के अनुसार बिहार वित (संशोधन) नियमावली 2005 के नियम 129 के अन्तर्गत राज्य क्रय संगठन बुडको को सेंटेज 2 प्रतिशत की दर से देय होगा। इसके अनुसार क्रय संगठन को कुल रू 12240000 देय राशि के विरूद्ध रू 12360000 कां भुगतान किया गया अर्थात रू 120000 का भुगतान अधिक किया गया था।
2. प्राप्त आंकड़ों के अनुसार निगम क्षेत्र में कुल भवनों की संख्या 27434 थी। उपलब्ध मकानों (होल्डिंग) का लगभग 55 प्रतिशत डस्टबीन क्रय किया गया था। जिसका उद्देश्य स्पष्ट नहीं था।
3. घर– घर कूड़ा संग्रहण हेतु गैर सरकारी संगठन S.G. Construction के साथ दिनांक – 27.01.16 को एकरारनामा करते हुए कार्यादेश निर्गत के अनुसार दिनांक 27.05.16 तक संबंधित संगठन द्वारा कार्य प्रारंम्भ नहीं किया गया था। निगम के पास सफाई कर्मियों की कमी थी, फिर डोर–टू–डोर कचरा संग्रहण की वैकल्पिक व्यवस्था स्पष्ट नहीं किया गया।
4. भण्डार पंजी प्रविष्टि, गुणवता जॉच प्रतिवेदन, वितरण इत्यादि को स्पष्ट नहीं किया गया।
5. डस्टबीन की आवश्यकता एवं उपयोगिता का उल्लेख नहीं किया गया था।

जवाब में बताया गया कि कचरा प्रबंधन हेतु सरकार के निर्देश के आलोक में बुडको के माध्यम से प्रयोग के तौर पर 15000 डस्टबिन का क्रय किया गया। कचरा उठाव के लिये निगम के दैनिक पारिश्रमिक की सेवाए ली गयी।

जवाब संतोषजनक नहीं है क्योंकि कचरा के प्रबंधन एवं भण्डारण की कोई व्यवस्था निगम के पास नहीं था अतः इस प्रयोजन हेतु किया गया व्यय राशि ₹ 12360000 निष्फल प्रतीत होता है।

कंडिका सं0 5(i) सैरात की बन्दोबस्ती की बकाया राशि की वसूली नहीं राशि रू 774205

नगर निगम बेगुसराय वर्ष 2015–16 के सैरात की बन्दोबस्ती की संचिकाओं का अवलोकन से ज्ञात हुआ कि सैरात की बन्दोबस्ती की राशि की वसूली नहीं किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–